



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली,

दिनांक 28.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए चैकिंग के दौरान 25-25 हजार रुपये के 02 अभियुक्तों प्रदीप व मोन्टू उर्फ मिन्टू को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक मिस कारतूस .315 बोर, 03 खोखा कारतूस .315 बोर व चोरी किये हुए 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु), 02 अंगुठी लेडीज (पीली धातु), एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), एक गले का हार (पीली धातु) व कुल 2500 नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.11.2025 को थाना बिनौली जनपद बागपत पर वादी सुनील कुमार पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम खपराना थाना बिनौली ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के



घर से बक्से को निकालकर गाँव के बाहर ले जाकर उसमें रखे सोने व चांदी के जेवर आदि सामान चोरी करके ले गये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली बागपत पर मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना बिनौली जनपद बागपत पर टीम का गठन किया गया ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 367/25 धारा 305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए चैकिंग के दौरान 25-25 हजार रुपये के 02 अभियुक्तों प्रदीप व मोन्टू उर्फ मिन्टू को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक मिस कारतूस .315 बोर, 03 खोखा कारतूस .315 बोर व चोरी किये हुए 02 जोड़ी पाजेब (सफेद घातु), 02 अंगुठी लेडीज (पीली घातु), एक जोड़ी कान की बाली (पीली घातु), एक गले का हार (पीली धातु) व कुल 2500 नगद बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान है०का० 354 निलेश कुमार भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली जनपद बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- डेरा सच्चा सौदा आश्रम के सामने कांवड मार्ग पर जंगल ग्राम शेखपुरा की बनी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- प्रदीप पुत्र रतीराम निवासी हैदरनगर थाना हापुड नगर जनपद हापुड उम्र करीब 43 वर्ष। (घायल)
2. मिन्टू उर्फ मोन्टू निवासी निवासी हैदरनगर थाना हापुड नगर जनपद हापुड उम्र करीब 28 वर्ष (घायल)

पुलिस पार्टी में घायल -

1. है०का० 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया गया
- जोड़ी पाजेब (सफेद घातु),
- दो अंगुठी लेडीज (पीली घातु),
- एक जोड़ी कान की बाली (पीली घातु),
- एक गले का हार (पीली धातु)
- कुल 2500 रुपये नगद।

- घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक मिस कारतूस .315 बोर, 03 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(a) थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 139/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
3. मु0अ0सं0 365/18 धारा 323/504/506/498ए भादवि महिला थाना गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 1727/19 धारा 307 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 1729/19 धारा 414 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 1801/19 धारा 307 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 1802/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 1803/19 धारा 414 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0 340/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुआ जनपद गा0बाद
10. मु0अ0सं0 310/25 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी जनपद गा0बाद
11. मु0अ0सं0 256/19 धारा 380 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत
12. मु0अ0सं0 310/19 धारा 459 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत
13. मु0अ0सं0 170/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बुढाना जनपद मु0नगर
14. मु0अ0सं0 171/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना मुरादनगर जनपद गा0बाद
15. मु0अ0सं0 405/19 धारा 302/307/457 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
16. मु0अ0सं0 610/19 धारा 379/411 भादवि थाना रहानीगेट जनपद गा0बाद
17. मु0अ0सं0 01/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
18. मु0अ0सं0 271/16 धारा 396/412 भादवि थाना पिलखुआ जनपद गा0बाद
19. मु0अ0सं0 2868/18 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गा0बाद

गिरफ्तार अभियुक्त मिन्टू उर्फ मोन्टू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 209/22 धारा 342/395/412/34 भादवि थाना मुडाली जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 123/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मुडाली जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 365/18 धारा 323/504/506/398(a) भादवि महिला थाना गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली, बागपत ।
- 2- व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

- 4- उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना बिनौली बागपत ।
- 5- उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली बागपत ।
- 6- है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 851 कुलदीप कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 8- है0का0 648 चोब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 9- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 10- है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 11- है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 12- है0का0 454 ओमवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 13- है0का0 255 अफसर अली थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 14- का01115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 28.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 285/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ट्यूबवेल से चोरी किया हुआ 01 सबमर्सिबल का मोटा केविल व 02 पतले केविल से निकले हुये तार (कुल वजन 01 किलो 900 ग्राम) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.09.2025 को थाना बिनौली पर आवेदक श्री प्रमोद पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम कमाला, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी एवं हरिओम



पुत्र दयाराम, किरणपाल पुत्र शोभाराम, रविन्द्र पुत्र जगरेश, बिजेन्द्र पुत्र जसवन्त, बलवीर पुत्र कालू, सोहनवीर पुत्र जयभगवान, मन्शा पुत्र रामफल, सोनू पुत्र फतेहसिंह, सोनू पुत्र गांधी, सुनील पुत्र कलीराम, समस्त निवासीगण ग्राम कमाला, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत तथा एक सरकारी ट्यूबवेल संख्या-161 के ताले तोड़कर ट्यूबवेल में रखा सामान मोटर का पंखा, लगभग 250 फिट केबिल, स्टार्टर, एरेटर, कट-आउट आदि चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर धारा मु0अ0सं0 285/25 धारा 331(4)/305(A) BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 285/25 धारा 331(4)/305(A) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ट्यूबवेल से चोरी किया हुआ 01 सबमर्सिबल का मोटा केविल व 02 पतले केविल से निकले हुये तार (कुल वजन 01 किलो 900 ग्राम) बरामद हुआ है।

उक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की वृद्धि की गयी है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 09-10-2025 को अभियुक्त अश्वनी पुत्र सुदेश पाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद व दिनांक 25-12-2025 को अभियुक्त राशिद पुत्र समीनु निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत को मय माल बरामदगी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र ब्रह्मपाल उर्फ प्रेम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

01 समरसेविल का मोटा केविल व 02 पतले केविल से निकले हुये तार (**जिनका कुल वजन 01 किलो 900 ग्राम**)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।